

प्रपत्र-2
फार्म “क”

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

क्र.स.	विवरण	क्रियाच्युत
1..	<p>परियोजना विवरण :-</p> <p>क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।</p> <p>(ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।</p> <p>(ग) परियोजना की लागत।</p> <p>(घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।</p> <p>(ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)</p> <p>(च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।</p>	<p>जनपद देहरादून एवं जनपद टिहरी के मसूरी वन प्रभाग कैम्पटी-भद्रीगाड़ एवं मसूरी-जौनपुर रेज के अन्तर्गत</p> <p>(1) एन0एच0 507 यमुना पुल-खरसोन क्यारी माईलस्टोन-44 से माईलस्टोन-54, 10 कि0मी0.</p> <p>(2) यमुना पुल-मसूरी बैण्ड जीरो प्लाइंट 21 कि0मी0.</p> <p>(3) यमुना पुल-सुमन क्यारी 11.2 कि0मी0.</p> <p>(4) एस0एच0 08 मसूरी-चम्बा मार्ग मसूरी-धनौली 34 कि0मी0. जिसकी कुल लम्बाई 76.2 कि0मी0. और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 है0, मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लिं0 प्रथम तल रिलाइंस मेगामार्ट, सेंवलाखुर्द, देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।</p> <p>संलग्न है।</p>
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:-	0.552 है0 वन भूमि
3.	<p>परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।</p> <p>क) परिवारों की संख्या</p> <p>(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या</p> <p>(ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)</p>	<p>नहीं</p> <p>शून्य</p> <p>शून्य</p> <p>शून्य</p>
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हाँ/ नहीं)	नहीं
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वर्चनवद्धता (वर्चनवद्धता संलग्न की जाये)	भारत सरकार / उत्तराखण्ड रासन द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लगायी जाने वाली समस्त शर्तों का पालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का व्योरा।	संलग्न है।

दिनांक 12/1/2019
राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव की जाएगी।

प्रस्ताव की क्रम संख्या..... (प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

